फर्द अहकाम

बनाम

नाम न्यायालय

केस संख्या

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	7.7.18	प्रत्यावर्ती पेश हुआ पक्षकारान वकील अ/ई प्रतिवादी व्यामा व रिकी की तरफ से मुद्दत तसाल पेशगी हद अदालत हो तहसील दो एतराज प्राप्त हुआ जो मलंगा है एतराज पर बहस वादी व रिकी व वकील द्वारा कि गयी तो रिकी व वकील द्वारा एतराज पर आपत्तिनही की गयी, एतराज रिपोर्ट में मेसर्स मिमाशी पेपरमिल्स वाले जो दिमाग दिमाग गया है अतः रिकी की ओर से आपत्ति नहीं है उस प्रकार पूर्व में जो रिकी द्वारा आपत्ति की गयी थी और अब एतराज रिपोर्ट के अनुसार मेसर्स मिमाशी पेपरमिल्स की आपत्ति वही गयी आपत्ति पर निराकरण होकर दो एतराज रिपोर्ट पर रिकी की आपत्ति नहीं है एतराज अनुसार डिक्री पर दिमाग आदेश हाथ लेख रिकी के प्रतिनिधी द्वारा वेबसाईट पर हस्ताक्षर कर रिकी के खिलाफ वादी आपत्ति दर्ज नहीं की गयी/वकील वादी द्वारा भी एतराज रिपोर्ट सही होने पर रिकी द्वारा आपत्ति नहीं किये जाने से एतराज रिपोर्ट अनुसार डिक्री किया जावे, पक्षकारान वकील [illegible] पर और किया व [illegible] किया जाना [illegible] व रिकी द्वारा आपत्ति [illegible] पर पूर्व में पारित आदेश निरस्त किया जाकर

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash
Date: 2021.01.12 17:37:22 IST
Reason: SelfAttested

फर्द अहकाम

बनाम

नाम न्यायालय

केस संख्या

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
		व ज्वाइंट रिपोर्ट आपत्ति पत्र को स्वीकार किया जाकर पुनः तहसीलदार चाकसू को दोनों पक्षों की मौजूदगी में ज्वाइंट रिपोर्ट बनाई जाकर भेजे जाने हेतु आदेश हुआ। अतः तहसीलदार चाकसू के द्वारा दोनों पक्षों की मौजूदगी में ज्वाइंट रिपोर्ट बनाई जाकर अभिलेख में आई, जिनपर रिपोर्ट द्वारा किसी प्रकार की ज्वाइंट रिपोर्ट पर आपत्ति नहीं की गयी। व जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर के द्वारा भी जयपुर विकास प्राधिकरण का रिमाण्ड पत्र- स्थित वाद में ज्वाइंट ~~सर्वेयर~~ रिपोर्ट को संशोधन किये जाने की सहमति दी गयी। इस प्रकार संशोधन ज्वाइंट रिपोर्ट पर किसी के द्वारा आपत्ति नहीं किये जाने व दोनों आपत्ति कर्ताओं की सहमति अनुसार ज्वाइंट रिपोर्ट प्राप्त होने से कार्य संशोधित ज्वाइंट रिपोर्ट अनुसार संशोधित निर्णय व डिक्री किया जाना उचित समझते हैं दावा [illegible] अनुसार [illegible] खसरा नम्बर 258/2 रकबा 0-10 है., 258/5 रकबा 0-10 है., 253/6 रकबा 0-03 है., 261 रकबा 8-52 है.	

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash
Date: 2021.01.12 17:37:22 IST
Reason: SelfAttested

अधिकारी

फर्द अहकाम

बनाम

नाम न्यायालय

केस संख्या

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण

265 रकबा 0.05 है, 266 रकबा 0.12 है, 267 रकबा 0.03 है, 277 रकबा 0.04 है, 278 रकबा 0.07 है 279 रकबा 0.05 है, 280 रकबा 0.05 है, 285/448 रकबा 0.04 है, 288 रकबा 0.35 है, 289 रकबा 3.00 है, 336/450 रकबा 0.19 है, 337/448 रकबा 0.04 है, 335 रकबा 0.14 है. किता 17 रकबा 13.31 है. मौजे बिहारीपुरा तथा मालवीयनगर तह जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर हि. 391/1331, राजा-व्यापार राजस्व विवाद विनिमाजन विभाग (विमो) जयपुर हि. 940/1331 के रकबा मे वहदारी व रकबा 0.858/3 रकबा 0.67 है 452/4 रकबा 0.17 है, 261/1 रकबा 0.22 है, 261/2 रकबा 0.26 है. किता 4 रकबा 1.32 है. मुअसि मेसर्स मीनाक्षी कोलीकालोनी प्रा. लि. (99 वर्ष लीज) हि. 10-10-85 के रकबे मे वहदारी व दावी अनुसार राजा-व्य विवाद मे दर्ज किया जावे। निर्णय अनुसार संशोधित डिक्री जारी हो। निर्णित की पालना हेतु तहसीलदार सो किराया जावे। पत्रावली बाद तकमील रुजवट हो व रूम हाजिर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
सांगानेर (जयपुर)

नोट:- [illegible]
253/6 [illegible]
किया जाता है व दावी [illegible] जावे।

Signature Not Verified

Digitally signed by Om Prakash
Date: 2021.01.12 17:37:22 IST
Reason: SelfAttested